

समक्ष डी. एस. तेवतिया और सुरिंदर सिंह. जे.जे.

आयकर आयुक्त, पटियाला, - आवेदक।

बनाम

हरियाणा सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, रोहतक, - प्रतिवादी।

1977 का आयकर संदर्भ संख्या 46

19 जुलाई 1984.

आयकर अधिनियम (1961 का XLVIII).-धारा 41(1)-दावा न किए गए गन्ने की कीमत को निर्धारिती द्वारा अपनी आय के रूप में दिखाया गया है-इस आधार पर छूट का दावा किया गया कि ऐसी राशि व्यापारिक रसीद नहीं थी क्योंकि भुगतान करने के दायित्व की कोई समाप्ति नहीं थी दावेदारों को दी जाने वाली राशि - ऐसी दावा न की गई कीमत - क्या आयकर अधिनियम के तहत निर्धारिती की आय के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है - यह दिखाने का दायित्व है कि राशि निर्धारिती की आय नहीं है - क्या यह निर्धारिती पर निहित है।

यह माना गया कि निर्धारिती ने दी गई राशि को अपनी आय के रूप में माना है, तो उक्त राशि को निर्धारिती की आय के रूप में माना जाना चाहिए और आय की धारा 41(1) के प्रावधानों के आधार पर कर के दायरे में लाया जाना चाहिए- कर अधिनियम, 1961, यदि दो शर्तें पूरी होती हैं; (i) कि राशि को किसी पिछले वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी और (ii) कि प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के दौरान, निर्धारिती को ओटी के संबंध में दायित्व की समाप्ति या छूट के माध्यम से दी गई राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। उक्त राशि. ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने उपचारित राशि को आय के रूप में दिया है और लाभ और हानि खाते में इसका उल्लेख किया है, तो प्रथम दृष्टया मूल्यांकन प्राधिकारी यह मानने का हकदार होगा कि प्रश्न में दूसरी शर्त पूरी हो गई है और यदि निर्धारिती उपरोक्त के बावजूद तथ्य यह है कि यद्यपि राशि लाभ और हानि खाते में जमा की गई थी, लेकिन निर्धारिती ऐसा करने के लिए या वह ज़ब्त करने का हकदार नहीं था, तो यह स्थापित करने का दायित्व निर्धारिती पर था कि कानून में ऐसी राशि को उसकी आय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, निर्धारिती की आय के रूप में उल्लिखित राशि को ऐसे निर्धारिती की आय माना जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल उक्त राशि को दिए गए मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मानने का हकदार है।

(पैरा 6, 7 एवं 16)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आवेदन

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली बेंच) ने आर.ए. में पारित अपने आदेश दिनांक 15 फरवरी, 1975 से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए इस माननीय उच्च न्यायालय का उल्लेख किया है। 1969-70 के आकलन वर्ष के लिए 1976-77 की संख्या 268 (डेल) (1972-73 की आईटीए संख्या 1083 (चाँद) में): - "चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण की राशि हटाने के अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश की सही पुष्टि की। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा वर्ष 1969-70 के मूल्यांकन से 37,994 रुपये जोड़े गए?"

अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, (ए.के. मित्तल, उनके साथ वकील)।

अपीलकर्ता.

प्रतिवादी की ओर से डी.के. गुप्ता, अधिवक्ता।

निर्णय

डी. एस. तेवतिया, जे.

(1) ट्रिब्यूनल ने इस न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया: -
"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने अपीलीय सहायक आयुक्त के रुपये की राशि हटाने के आदेश की सही पुष्टि की है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा 37,994 रुपये जोड़े गए

वर्ष 1969-70 के लिए मूल्यांकन?

(2) दी गई राशि को मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की आय के रूप में माना गया था। एक अपील पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ने माना कि उक्त राशि निर्धारित की आय नहीं थी, जिस आदेश को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा था।

(3) कर निर्धारण प्राधिकारी के आदेश से यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि लाभ-हानि खाते में दर्ज की गई थी तथा उक्त के विरुद्ध

राशि निम्नलिखित प्रविष्टि मौजूद थी: . जब्त की गई राशि और देय गन्ना मूल्य... 37,994 जब मूल्यांकन प्राधिकारी ने उक्त जब्त की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कहा, तो निर्धारिती ने कोई स्पष्टीकरण देने के बजाय, 28 अक्टूबर, 1971 के अपने उत्तर में छूट का दावा किया और लिखित बयान में संशोधन करने की मांग की। दी गई वस्तु के संबंध में.

(4) रुपये की दी गई राशि के संबंध में निर्धारिती। 37,994 ने लिया

स्टैंड यह है कि यह लावारिस गन्ना मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे व्यापारिक रसीद के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उस संबंध में देयता की कोई समाप्ति नहीं थी और इसलिए, राशि को धारा 41 (1) के प्रावधानों को लागू करके कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। आयकर अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)।

(5) तो विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उक्त राशि को कर के दायरे में लाने के लिए अधिनियम की धारा 41(1) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। इस मुद्दे पर न्यायिक उदाहरणों से निपटने से पहले, यह देखा जा सकता है कि यह दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि उक्त प्रावधान आकर्षित है या नहीं। वर्तमान मामले में, इस तथ्य के अलावा कि निर्धारिती ने दी गई आय को अपने लाभ और हानि खाते में जमा किया है, उसने यह भी बताया कि उसने ऐसा क्यों किया है जबकि उसने प्रविष्टि में उल्लेख किया है कि यह राशि जब्त कर ली गई है।

(6) निर्धारिती ने दी गई राशि को अपनी आय के रूप में माना है

यह भी स्पष्ट करता है कि उसने दी गई राशि को अपनी आय के रूप में क्यों माना अर्थात् इसे जब्त कर लिया, तो उक्त राशि को निर्धारिती की आय के रूप में माना जाना चाहिए और प्रावधानों के आधार पर कर के दायरे में लाया जाना चाहिए अधिनियम की धारा 41(1), यदि दो शर्तें पूरी हो गई थीं; (i) कि राशि को किसी पिछले वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी और (ii) कि प्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के दौरान, निर्धारिती को देयता की समाप्ति या छूट के माध्यम से दी गई राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला लाभ प्राप्त हुआ था। उक्त राशि.

(7) पहली शर्त के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यह केवल दूसरी शर्त के संबंध में है कि पार्टियां समान तरंग दैर्ध्य पर नहीं हैं। ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने अपने लाभ और हानि खाते में दी गई राशि को अपनी आय माना था और इसका उल्लेख भी किया था कि उक्त राशि स्वयं जब्त करने के परिणामस्वरूप उसकी स्वयं की आय बन गई, तो प्रथम दृष्टया मूल्यांकन प्राधिकारी यह मानने का हकदार होगा कि प्रश्न में दूसरी शर्त भी संतुष्ट थी और यदि उपरोक्त तथ्य के बावजूद निर्धारिती ने दावा किया कि यद्यपि उसने क्रेडिट किया था उसके लाभ और हानि खाते की राशि, वह ऐसा करने का हकदार नहीं था या वह जब्त करने का हकदार नहीं था, तो यह स्थापित करने का दायित्व उस पर था कि कानून में वह उक्त राशि को अपनी आय

का हिस्सा मानने का हकदार नहीं था या वह उसे जब्त करने का हकदार नहीं था और इसलिए उसका दायित्व समाप्त नहीं हुआ।

(8) जैसा कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि किसी को लाने के बजाय

रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, निर्धारिती उक्त राशि के संबंध में छूट का दावा करने के लिए आगे बढ़ा और रिटर्न में संशोधन करना चाहता था। जहां तक उन तथ्यों का सवाल है जिनके कारण उन्हें राशि जब्त करनी पड़ी, वे करदाता की व्यक्तिगत जानकारी में हैं जिनका उन्होंने खुलासा नहीं किया था। यदि उसने उनका खुलासा किया होता, तो यह देखा जा सकता था कि क्या कानूनन वह उक्त राशि को जब्त करने और उसे अपनी आय मानने में सही था।

(9) इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम सी.आई.टी. मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (1), यह विचार लिया और ठीक ही कहा कि यदि निर्धारिती ने स्वयं लाभ और हानि खाते में दर्ज करके दी गई राशि को अपनी आय माना है, तो यह मानने के लिए इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है कि यह उसकी आय थी अधिनियम की धारा 41(1) के संदर्भ में निर्धारिती क्योंकि जिस क्षण निर्धारिती ने दी गई राशि को अपनी आय के रूप में माना, तब यह माना जाना चाहिए कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके विचार में उक्त राशि के संबंध में उसकी देनदारी समाप्त हो गई थी जब तक कि उन्होंने स्थापित किया कि कानून में उनके द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण गलत था। उस फैसले में उनके आधिपत्य ने भागवत प्रसाद एंड कंपनी बनाम सी.आई.टी. (2) में उनके न्यायालय के पहले के फैसले की व्याख्या की। यह एक ऐसा मामला था जिसमें लेनदारों का सुधार कालातीत हो गया था और मूल्यांकन प्राधिकारी ने उक्त राशि को निर्धारिती की आय माना था। उस फैसले में, यह माना गया था कि केवल इस तथ्य से कि ऋण कालातीत हो गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून में निर्धारिती की देनदारी समाप्त हो गई थी।

(10) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक देनदार द्वारा अपने लेनदार के दायित्व को समाप्त करने के लिए एकतरफा कार्य उसके दायित्व को समाप्त करने के समान नहीं होगा और अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने कोहिनूर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयुक्त का हवाला दिया। आयकर, बॉम्बे सिटी, (3), जे.के. केमिकल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी ॥ (4), भागवत प्रसाद एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त, लखनऊ, (5) गैनन डंकर्ली एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे, (6) आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-VI बनाम सदाभक्ति प्रकाशन प्रिंटिंग प्रेस (पी) लिमिटेड (7) और आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-IV बनाम सुगौली शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (8)।

(11) उपरोक्त निर्णयों में से किसी का भी अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं है।

(12) जे.के. केमिकल्स लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में तथ्य यह थे कि कर्मचारियों का अवैतनिक वेतन रु. दिए गए लेखांकन वर्ष के लिए 5,929 लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किए गए थे। मूल्यांकन प्राधिकारी ने केवल उस खाते को निर्धारिती की आय के समान माना। निर्धारिती ने यह रुख अपनाया कि उसका

औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर देनदारी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इसकी धारा 33सी(2) के तहत कर्मचारियों के रास्ते में कोई सीमा बाधा नहीं आई। बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड्स एक्ट, 1953 के प्रावधानों को भी उपधारा में संदर्भित किया गया था

धारा 2 के (10) में 'अवैतनिक संचय' को 'कर्मचारियों को देय सभी भुगतान, लेकिन उनके देय होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर नहीं किया गया' के रूप में परिभाषित किया गया है।

चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में कानूनी रूप से देय मजदूरी और ग्रेच्युटी शामिल हो 'उक्त अधिनियम की धारा 3 में राज्य सरकार को बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड नामक एक फंड का गठन करने की आवश्यकता है और आगे प्रावधान किया गया है कि उस समय के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद किसी अनुबंध या लिखत के लागू होने पर, सभी अवैतनिक संचयों का भुगतान उक्त बोर्ड को किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों का प्रभाव यह था कि चाहे निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में अवैतनिक संचय दर्ज किया हो या नहीं, उसे उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के आधार पर उक्त राशि को बोर्ड को हस्तांतरित करना होगा।

(13) ऐसी स्थिति होने पर बंबई उच्च न्यायालय ने सही विचार किया कि दी गई राशि के संबंध में निर्धारिती के दायित्व की कोई समाप्ति नहीं हुई है, भले ही उसने इसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया हो।

(14) शेष निर्णयों में जो दिया गया उस पर विचार किया गया

न्यायालय का राजस्व का रुख था कि कालातीत ऋण, जिस पर एक बार भत्ते का दावा किया गया था, निर्धारिती की आय बन गया। न्यायालयों ने यह विचार किया कि निर्धारिती-देनदार के अधिनियम की धारा 41(1) के संदर्भ में उसके लेनदार के लिए दायित्व की कोई समाप्ति नहीं थी और इसलिए, भले ही निर्धारिती ने अपने एकतरफा कार्य द्वारा अपने लाभ में इतनी राशि दर्ज की थी और हानि खाता, कानून में ऐसी रकम को निर्धारिती की आय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(15) जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, राजस्व ने दी गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में नहीं माना था, इस तथ्य के कारण कि निर्धारिती का भुगतान करने का दायित्व उपाय के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था। गन्ना उत्पादकों को उक्त राशि की वसूली करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। निर्धारिती ने यह दलील नहीं दी थी कि उसने उक्त राशि को अपने

लाभ और हानि खाते में दर्ज किया था और उसने उक्त आय को जब्त कर लिया था क्योंकि उसके लेनदारों का उससे उस राशि को वसूलने का अधिकार सीमा के कारण बाधित हो गया था और इसलिए, उसने वह राशि जब्त कर ली थी। राशि और इसे अपनी आय मानकर अपने लाभ-हानि खाते में दर्ज कर लिया।

(16) निर्धारिती ने उन कारणों के बारे में नहीं बताया जिसके कारण उसे राशि जब्त करने और उसे अपने लाभ और हानि खाते में दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर है, जिन कारणों से उसने ऐसा किया, वे ऐसे होने चाहिए कि उसने अपने लेनदारों को उस राशि का भुगतान करने का दायित्व माना जो अब अस्तित्व में नहीं है और इसलिए, उसने उक्त राशि को अपने लाभ और हानि खाते में दर्ज किया। यदि निर्धारिती किसी कारण के साथ आगे आया था, तो मूल्यांकन प्राधिकारी ने उन कारणों की जांच की होगी कि क्या निर्धारिती ने कानून की नजर में उक्त राशि को सही या गलत तरीके से अपनी आय माना है। चूँकि प्रथम दृष्टया निर्धारिती ने स्वयं एक निश्चित राशि को अपनी आय माना था, इसलिए राजस्व उक्त राशि को दिए गए मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मानने का उचित हकदार था।

(17) उपरोक्त कारणों से, संदर्भ का उत्तर नकारात्मक अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध दिया गया है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा